

F-OFFICE NO. (601808)

DATE 18/9/17

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

AD MRB
15/9/17

क्रमांक एफ 27 (44)ग्रावि/ग्रुप-5/पीएमएवाई/विविध/ 2017-18 जयपुर, दिनांक 13 सितम्बर, 2017

—::आदेश::—

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण कें क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देश (फ्रेमवर्क) की पालना में विभागीय पत्र क्रमांक एफ 27 (43)ग्रावि/ग्रुप-5/पीएमएवाई/विविध/ 2016-17 दिनांक 13.04.2016 द्वारा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला अपीलैट कमेटी एवं आदेश 2017/30 दिनांक 09.02.2017 द्वारा जिला क्रियान्वयन, निगरानी एवं समन्वयन समिति का गठन किया गया था।

विभाग द्वारा गठित उक्त दोनो कमेटियों को पुर्नगठित कर जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में निम्नानुसार जिला क्रियान्वयन, निगरानी, समन्वयन एवं अपीलैट समिति का गठन किया जाता है:-

क्र.स	पदनाम	विवरण
1	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2	जिला आयोजना अधिकारी	सदस्य
3	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	सदस्य
4	अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस)	सदस्य
5	जिले में स्थित पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र आचार्य/कलेक्टर द्वारा जिले के मनोनीत एनजीओ/गैर सरकारी प्रतिनिधि	सदस्य
6	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य, सचिव

उक्त समिति प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत ग्राम सभा से अनुमोदित वरीयता सूची पर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण, योजनान्तर्गत स्वीकृत मकानों को समय पर पूरा करने के लिये रोडमैप व अन्य योजना के साथ ताल-मेल, योजना की सफल क्रियान्विति सुनिश्चित करना, प्रगति की समीक्षा आदि समस्त उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगी।

इस समिति का प्रशासनिक विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (ग्रामीण विकास) होगा।

श्री. सुदीप
19.9.2017

(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि।
3. निजी सचिव, वरिष्ठ उपसचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
5. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
7. निजी प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
9. निजी सचिव, महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
11. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त परावि।
12. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा।
13. निजी सचिव, निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, जयपुर।
14. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति।
15. जिला कलेक्टर समस्त, राजस्थान।
16. परियोजना निदेशक एवं पदेन उपसचिव, (मो.एवं.मु) को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड कराने बाबत।
17. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
18. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
19. जिला आयोजना अधिकारी, समस्त।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)